उत्तराखण्ड शासन
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः 616 /VIII/675–श्रम/2002
देहरादून दिनाँक 06 जुलाई, 2010

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिए आवश्यक सम्भरण और नियोजन को बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के निर्देश में निदेश देते हैं, कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जाएगी।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1917(1)/VIII/675–श्रम/2002, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 5692(एच0आई0)/36–2–110(एच0आई0)/77, दिनांक 27 सितम्बर, 88, जिसके द्वारा राज्य में समस्त वैक्यूअम पैन चीनी के कारखानों के कर्मकारों के नियोजन की सेवाशर्तें निर्धारित की गयी है, की उत्तराखण्ड राज्य में लागू रहने की अवधि उसके समाप्त होने की दिनांक अर्थात् 25 सितम्बर, 2009 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है।

(एन.के. जोशी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 616 (1)/VIII/675–श्रम/2002, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. अपर श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

सहायक श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड
हल्द्वानी.

श्रम आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड
प्राप्ति दिनांक 12/7/10
हल्द्वानी (नैनीताल)

U.O

डायरी सं. 1004
दि० 12/7/10

चीनी उद्योग के संशोधित स्थायी आदेशों को हिन्दी व इंगलिश
में एक साथ प्रकाशित करने सम्बन्धी गजट का विवरण

क्रम संख्या -- 733

रजिस्टर्ड नं0 -- 4

लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0 -- 41

(लाइसेन्स टु पोष्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

वि धा यी प रि शि ष्ट

भाग- 4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 27 सितम्बर, 1988

अश्विन 5, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग - 2

संख्या 5692 (एच0 आइ0)/ 36-2-110 (एच0 आइ0)/ 77

लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्य के वैक्यूम पैन चीनी कारखानों के कर्मकारों के नियोजन की शर्तों को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेशों को सरकारी अधिसूचना संख्या 5436-एस0टी0 36-ए-208-एस0 टी0-58, दिनांक 3 अक्टूबर, 1958 के अधीन लागू किया गया था।

अब चूँकि समय के अन्तराल को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थायी आदेशों को पुनरीक्षित किये जाने की बराबर माँग की जा रही थी।

अब चूँकि उक्त स्थायी आदेशों के पुनरीक्षण का मामला सरकारी अधिसूचना संख्या 1869 (एच0 आइ0)/ 36-2-103 (एच0 आइ0)/ 73 दिनांक 8 मई, 1979 के अधीन चीनी उद्योग के लिए गठित और समय-समय पर पुनर्गठित त्रिदलीय स्थायी समिति को निर्देशित किया था

और चूंकि उक्त स्थायी समिति के मामले पर सविस्तार विचार करके स्थायी आदेशों के पुनरीक्षण के लिये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है

और चूंकि स्थायी समिति द्वारा यथा पुनरीक्षित किये गये स्थायी आदेशों से चीनी उद्योग में औद्योगिक शान्ति और सामंजस्य का वातावरण स्थापित होगा

और चूंकि राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जन जीवन के लिए आवश्यक सम्भरण और सेवाओं और नियोजन को बनाए रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है

अतएव अब, संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों कर एक्ट, 1947 (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और समय समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 5436- एस0टी0-36-ए-208-एस0 टी0/58, दिनांक 3 अक्टूबर 1958 का अतिक्रमण करके राज्यपाल आदेश देते है कि उत्तर प्रदेश के समस्त वैक्यूम पैन चीनी के कारखाने इन आदेशों के साथ संलग्न स्थायी आदेशों का पालन करेंगे और उक्त एक्ट की धारा 19 क निर्देश में यह निर्देश देते है कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित कर दी जायेगी।

2- यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा और इन आदेशों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में वैक्यूम पैन चीनी के कारखाने और उनमें नियोजित कर्मकार सर्वप्रथम एक वर्ष की अवधि के लिए इससे बाध्य होंगे।

स्थायी आदेश

उत्तर प्रदेश के वैक्यूम पैन चीनी के कारखानों के कर्मकारों के नियोजन की शर्तों को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेश

(क) परिभाषायें

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल न हो, इन स्थायी आदेश में -

1- कर्मकार का अर्थ वही होगा जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 / औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में उसके लिए दिया गया है।

2- प्रबंधक का तात्पर्य किसी कारखाने के प्रबन्धक या तत्समय कार्यकारी प्रबंधक या सचिव या तत्समय कार्यकारी सचिव या किसी ऐसे अन्य अधिकारी से है, जिसमें इन स्थायी आदेशों का पालन करने और इन्हें निष्पादित करने के सम्बन्ध में प्राधिकार निहित है।

3- प्रबंध मण्डल का तात्पर्य किसी कारखाने के प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, स्वामी या स्वामियों, भागीदार या भागीदारों या अन्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय या निकायों से है, जिसे या जिन्हें कारखाने के कारखाने के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने का प्राधिकार हो।

4- पुरुष के अन्तर्गत स्त्री भी है सिवाय उस स्थिति के जहाँ विनिर्दिष्ट रूप से भेद किया गया है।

5- मौसम का तात्पर्य पेराई आरम्भ होने की अवधि से लेकर उस दिनांक तक है जब पेराई समाप्त हो जाय, परन्तु वे विभाग जो पेराई आरम्भ होने के समय चालू नहीं होते और पेराई समाप्त के बाद कार्य करते हैं, मौसम जहाँ तक उसका प्रभाव उन विभागों के कर्मकारों पर पड़ता है, उस दिनांक से प्रारम्भ होगा जब से विभाग कार्य आरम्भ करेगा और उस दिनांक को समाप्त होगा, जब विभाग कार्य बन्द करेगा।

(ख) कर्मकारों का वर्गीकरण

1- कर्मकारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाएगा:-

(एक)	स्थायी
(दो)	मौसमी
(तीन)	अस्थायी
(चार)	परिवीक्षाधीन
(पाँच)	शिशिक्षु
(छः)	प्रतिस्थानी

(एक) स्थायी कर्मकार वह है जो वर्षभर किसी स्थायी प्रकार के कार्य या स्थायी आवश्यक्ता के कार्य पर लगा हो और जिसने अपनी परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो पूरी कर ली हो।

(दो) मौसमी कर्मकार वह है जो केवल पेराई मौसम के लिये लगा हो और जिसने अपनी परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो पूरी कर ली हो।

तीन) अस्थायी कर्मकार वह है जो अस्थायी या आकस्मिक आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए लगा हो।

(चार) परिवीक्षाधीन व्यक्ति वह है जो जिसे किसी स्थायी मौसमी रिक्ति या स्थायी मौसमी प्रकार के नये पद को भरने के लिए नियोजन के समय प्रबंध मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अन्तिम रूप से नियोजित किया जाय जिसे उस अवधि के समाप्त होने पर यदि उसकी सेवायें संतोषजनक पाई जाएं, स्थायी किया जा सके। स्थायी कर्मकारों की स्थिति में परिवीक्षा अवधि 6 महीने और मौसमी कर्मकारों की स्थिति में 1 महीने या पेराई मौसम का आधा, इसमें जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यदि नियोजन के समय प्रबंध मण्डल द्वारा परिवीक्षा की कोई अवधि विनिर्दिष्ट न की जाय तो स्थायी कर्मकार की स्थिति में परिवीक्षा अवधि 6 मास और मौसमी कर्मकारों की स्थिति में 1 मास या पेराई के मौसम का आधा, इसमें जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और कि यदि परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के पश्चात प्रबंध मण्डल द्वारा कोई आदेश पारित न किया जाए, तो यह समझा जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्वत: स्थायी कर दिया गया है।

(पाँच) शिशिक्षु का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जैसा कि संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, 1949 की धारा 2(क) में परिभाषित है।)

(छ:) प्रतिस्थानी वह है जिसे ऐसे स्थायी या मौसमी कर्मकार की जगह पर नियोजित किया जाय जो छुट्टी जाने या अन्य कारण बस अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो।

2-(क) भर्ती किये जाने पर प्रत्येक कर्मकार भर्ती के प्रपत्र 'क' पर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) नियुक्ति के समय मासिक दर पर काम करने वाले प्रत्येक कर्मकार को प्रपत्र 'ख' में एक नियोजन ज्ञापन-पत्र दिया जायेगा और दैनिक दर पर काम करने वाले प्रत्येक कर्मकार को प्रपत्र 'ग' में एक नियोजन ज्ञापन पत्र दिया जायेगा।

(ग) (एक) प्रत्येक स्थायी कर्मकार को एक स्थायी टिकट दिया जायेगा जैसा कि प्रपत्र 'घ' में दिया गया है।

(दो) प्रत्येक मौसमी कर्मकार को एक टिकट दिया जायेगा जैसा कि प्रपत्र 'ङ' में दिया गया है।

(तीन) प्रत्येक अस्थायी कर्मकार को एक टिकट दिया जायेगा जैसा कि प्रपत्र 'च' में दिया गया है।

(चार) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को एक टिकट दिया जायेगा जैसा कि प्रपत्र 'छ' में दिया गया है।

(पाँच) प्रत्येक शिशिक्षु को एक टिकट दिया जायेगा जैसा कि प्रपत्र 'ज' में दिया गया है।

(छ:) प्रत्येक प्रतिस्थायी कर्मकार को एक टिकट दिया जायेगा जैसा कि प्रपत्र 'झ' में दिया गया है।

(ग) प्रचार का ढंग

कर्मकारों के सम्बन्ध में सभी नोटिस ऐसे प्रयोजनों के लिए रखे गये सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ऐसे नोटिसों की एक प्रति इस प्रयोजन के लिए रखे गये नोटिस के रजिस्टर में भी रखी जाएगी और ऐसी एक प्रति कर्मकारों के रजिस्टर्ड संघ के सचिव को भेज दी जाएगी।

(घ) कर्मकारों को काम की अवधियों और काम के घंटों, छुटियाँ, वेतन दिवसों और पालियों के सम्बन्ध में सूचना देना

1- सभी वर्गों के कर्मारों के काम करने की अवधियों और काम के घंटों का संप्रदर्शन कारखाने के सूचना पट्ट पर किया जाएगा।

2- कारखाना अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम की अपेक्षानुसार क्रमश: ऐसी नोटिसें प्रदर्शित की जाएंगी जिनमें किसी कारखाने द्वारा छुट्टी और वेतन दिवस मनाये जाने वाले दिनांक को विनिर्दिष्ट किया गया हो।

3(क) प्रत्येक कर्मकार को मजदूरी की पर्ची दी जाएगी जैसा कि प्रपत्र 'ञ' में दिया गया है। मजदूरी की इस पर्ची में निम्नलिखिम सूचना दी जाएगी:-

(एक) जितने दिन काम किया गया हो उन दिनों की संख्या।

(दो) उपार्जित कुल मूल मजदूरियाँ (जहाँ आवश्यक हो मूल मजदूरी और महंगाई भत्ता पृथक पृथक दिखाना चाहिए)

(तीन) अन्य भत्ते जिसमें अतिकाल भत्ता भी सम्मिलित है।

(चार) सकल उपार्जित धनराशि

(पाँच) कटौतियाँ यदि कोई हो

(छः) देय शुद्ध धनराशि।

प्रत्येक कर्मकार को उसे दी गई मजदूरी की परची अनपे पास रखने की अनुमति होगी।

(ख) ऐसे मामले में जहाँ मजदूरी का वितरण प्रातः काल किया जाय वहाँ मजदूरी के वितरण के लिए निश्चित दिन के पहले दिन के मध्याह्न तक और जहाँ मजदूरी का वितरण अपराह्न में किया जाय, वहाँ मजदूरी के वितरण के दिन के पूर्वाह्न तक कर्मकारों को मजदूरी की पर्चियों का वितरण कर दिया जाएगा।

(ग) यदि किसी कर्मकार को देय धनराशि के ठीक होने सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो उसकी जाँच तुरन्त की जाएगी ताकि निश्चित समय पर मजदूरी का भुगतान होने से किसी प्रकार का विलम्ब न होने पाये।

(घ) यदि किसी कारण से भुगतान के लिए निश्चित किये गये समय के पहले आपत्ति के सम्बन्ध में जाँच पूरी करना सम्भव न हो तो आपत्ति पंजीकृत कर दी जायेगी और मजदूरी की पर्ची में दर्ज की गई धनराशि कर्मकार को निश्चित समय पर दे दी जाएगी और यदि आपत्ति ठीक पाई जाय तो सम्बन्धित कर्मकार को देय अतिशेष धन राशि का भुगतान आपत्ति के दिनांक से 6 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

परन्तु जहाँ कोई आपत्ति दर्ज कर दी गई हो और कर्मकार से रसीद लेने की पृथा प्रचालित हो, वहाँ जब तक आपत्ति की जाँच न कर ली जाय और उसे निबटा न दिया जाय तब तक कर्मकार से भुगतान की रसीद नही ली जाएगी।

4- यदि किसी कर्मकार को कोई मजदूरी देय हो किन्तु उसके लिए दावा प्रस्तुत न किये जाने के कारण वह उसे वेतन भुगतान के दिन पर न दी गई हो तो कारखाने के द्वारा उसका भुगतान अदावाकृत मजदूरी के भुगतान के लिए प्रत्येक सप्ताह में निश्चित ऐसे दिन को किया जाएगा, जिसकी सूचना कर्मकार को दी जाएगी और उस दिनांक के बाद होगा, जिस पर कर्मकार या उसकी ओर से उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि या विधिक दायाद ने मजदूरी के लिए ठोस दावा प्रस्तुत किया हो।

परन्तु इस प्रकार का दावा कर्मकार को मजदूरी देय होने के दिनांक से 6 मास के भीतर प्रस्तुत किया जाय। यदि कर्मकार स्वयं उपस्थित होने में उसमर्थ हो तो उसके द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने के लिए अनुरोध करने पर, कारखाना उसी के खर्च पर मनीआर्डर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा उसका वेतन उसके पास भेज देगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मकार को देय धनराशि के ठीक होने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति उसकी ओर से नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि या विधिक दायाद द्वारा की गई हो तो उसकी जाँच तत्काल की जानी चाहिए जिससे कि निश्चित समय पर भुगतान सम्भव हो सके और यदि किसी कारण भुगतान के लिए निश्चित समय से पूर्व आपत्ति पर जाँच करना सम्भव न हो सके तो आपत्ति पंजीकृत कर ली जाएगी और कर्मकार को बताई गयी देय धन राशि का भुगतान उसके प्रतिनिधि या विधिक दायाद को निश्चित समय पर कर दिया जाएगा। यदि आपत्ति ठीक पाई जाय, तो वास्तविक रूप से कर्मकार को देय धनराशि और उसे पहले दी गई धनराशि में जो अन्तर हो, उसका भुगतान उसकी आपत्ति के दिनांक के 6 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

5- विभिन्न श्रेणी के कर्मकारों की पालियॉ और काम करने के घंटे सुसंगत अधिनियमों, जैसे कारखाना अधिनियम,1948, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962, इनमें से जो भी उस पर लागू होते हों, के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किये आएंगे और समय-समय पर अधिसूचित किये जाएंगे। फिर भी यदि पाली में काम करने को विनियमित करने के सम्बन्ध में कोई सामूहिक करार या अधिनिर्णय हो तो जहॉ तक वे कारखाना अधिनियम, 1948, से असंगत न होंगे वहॉ तक उनका पालन किया जाएगा।

(ङ)किसी कारखाने या कारखाने के ~~किसी विभाग~~ या उसके किसी अनुभाग को बन्द करने फिर से खोलने की सूचना।

स्थायी आदेश ञ--(1) में की गई व्यवस्था के सिवाय जहॉ तक सम्भव हो किसी कारखाने या कारखाने के किसी विभाग या अनुभाग को बन्द करने या उसे फिर खोलने के सम्भावित दिनांक के सम्बन्ध में अग्रिम सूचना दी जायेगी।

मौसम प्रारम्भ होने की सूचना

प्रबन्धक किसी कारखाने की पेराई का मौसम प्रारम्भ होने के दिनांक की लिखित सूचना श्रम आयुक्त, सम्भागीय/अपर/उप श्रम आयुक्त/क्षेत्र के संराधन अधिकारी और अपने कर्मकारों क समस्त रजिस्ट्रीकृत मजदूर संघों को देगा और उसे स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेगा। सामान्य सूचना की एक प्रति सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित की जाएगी। प्रबन्ध मंडल द्वारा प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कम से कम 10 दिन पहले यह सूचित किया जाएगा कि उसे किस दिनांक से काम पर आना है। ऐसी सूचना ऐसे कर्मकारों को संदेशवाहक द्वारा भेजी जा सकती है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हों और चपरासी की पुस्तिका में उसकी प्राप्ति स्वीकृति के हस्ताक्षर लिए जा सकते है। यदि कर्मकार इस प्रकार अधिसूचित दिनांक के 10 दिन के भीतर काम पर उपस्थित न हो तो यह नियोजन से अपना धारणाधिकार खो देगा। फिर भी यदि कर्मकार प्रबन्धक को काम पर बिलम्ब से आने के कारणों को देते हुए आवेदन करता है तो प्रबन्धक संतुष्ट होने पर ऐसे कर्मकार को नियोजन में बनाये रख सकता है।

परन्तु प्रबन्धक किसी कारण से मौसम आरम्भ होने के दिनांक की सूचना 10 दिन पूर्व नहीं देता है, तो कर्मकार मौसम प्रारम्भ होने के दिनांक से 10 दिन तक अपना वेतन नही खोएगा; फिर भी कर्मकार सूचना प्राप्त होने पर युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य पर उपस्थित होगा।

(च) उपस्थिति और देर से आना

1- सभी कर्मकार काम पर, निश्चित और उन्हें अधिसूचित समय पर उपस्थित होंगे। देर से आने वाले किसी कर्मकार को रोका जा सकता है और उसे अनुपस्थित समझा जाएगा।

पहली मीटिंग में देर से उपस्थित होने की दशा में कोई कर्मकार 10 मिनट के बाद काम पर उपस्थित होता है तो वह कारखाने के बाहर रोका जा सकता है और उसे अनुपस्थित समझा जा सकता है किन्तु ऐसा केवल उस आधे दिन के लिए अनुपस्थित समझा जाएगा जिसके लिए वह अपने काम पर ठीक समय से अनुपस्थित न हो सका। दूसरी मीटिंग में उसे बाहर रोका जाएगा किन्तु वह काम करेगा और उसके स्थान पर सम्पूर्ण दिन के लिए यदि किसी प्रतिस्थानी की नियुक्ति न की गई हो और वह आधे दिन की अपनी मजदूरी पाएगा।

2- काम के घन्टों में अनुपस्थित रहने वाले कर्मकार की मजदूरी, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के उपबंधों के अनुसार काटी जा सकेगी।

(छ) छुट्टी की शर्तें, प्रकिया ओर देने का प्राधिकार

1(क) छुट्टी - राज्य के प्रत्येक वैक्यूम पैन चीनी के कारखाने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 द्वारा अनुमोदित श्रेणियों को छोड़कर सभी श्रेणियों को निम्नलिखित छुट्टियाँ देंगे।

1- कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन अनुमन्य छुट्टियाँ

2- आकस्मिक या बीमारी छुट्टी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

स्थायी कर्मकार

आकस्मिक छुट्टी एक वर्ष में	6 दिन
बीमारी छुट्टी एक वर्ष में	10 दिन

मौसमी कर्मकार

आकस्मिक छुट्टी- पेराई का मौसम जिसमें कर्मकार कारखाने के रोल में है, के प्रत्येक मास के लिए 1/2 दिन की दर से गणना की जायेगी। इस प्रयोजन के लिए किसी माह में 15 दिन से अधिक की अवधि को पूर्ण मास गिना जाएगा।

बीमारी की छुट्टी - पेराई का मौसम जिसमें कर्मकार कारखाने के रोल में है, के प्रत्येक मास के लिए 1/2 दिन की दर से गणना की जायेगी। इस प्रयोजन के लिए किसी माह में 15 दिन से अधिक की अवधि को पूर्ण मास गिना जाएगा। ये मौसमी कर्मकार जो उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के उपबन्धों से नियोजित होते हैं, उक्त अधिनियम के अधीन मौसम के लिए आनुपातिक विशेषाधिकार (प्रिविलेज) छुट्टी पाएंगे।

स्पष्टीकरण- इस उप खण्ड के प्रयोजनों के लिए मास का तात्पर्य कारखाने में पेराई प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भ होने वाली 30 दिन की अवधि से है।

(ख) किसी कर्मकार को उसके आकस्मिक छुट्टी में आगे और पीछे पड़ने वाले अवकाश या साप्ताहिक विश्राम के दिनों को आगे या पीछे जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु यदि वह ऐसी छुट्टियों के दौरान स्टेशन से बाहर जाना चाहता है तो वह अपनी छुट्टी के प्रार्थना-पत्र में स्टेशन छोड़ने और स्टेशन वापस लौटने के दिनांक की सूचना देगा। यदि कोई साप्ताहिक विश्राम का दिन या कोई त्योहार का अवकाश लिए गये आकस्मिक छुट्टी के बीच पड़ता है तो उस दिन को आकस्मिक छुट्टी के दिन में नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) उपखण्ड (क) के अधीन दी गई छुट्टी प्रत्येक चीनी के कारखाने द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम छुट्टी समझी जाएगी। यदि किसी कारखाने द्वारा दी गई त्यौहार का अवकाश, साप्ताहिक विश्राम का दिन और कारखाना अधिनियम 1948, के अधीन सवेतन छुट्टी से भिन्न 16 दिन से अधिक हो तो जैसा कि उपर्युक्त उपखण्ड (क) में उपबंधित है, ऐसे कारखानों में आकस्मिक छुट्टी या बीमारी छुट्टी के रूप में कोई अतिरिक्त छुट्टी देने की अपेक्षा नही की जाएगी। फिर भी ऐसा कारखाना अपने कर्मकारों को पहले से दी जाने वाली छुट्टियों में कोई कमी नही करेगा।

(घ) आकस्मिक छुट्टी और बीमारी की छुट्टी को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत नहीं किया जाएगा और न कर्मकार ही उपयोग की गई बीमारी की छुट्टी के बदले कोई मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे। बीमारी की छुट्टी के आवेदन पत्र को अस्वीकृत नही किया जाएगा यदि वह इन स्थायी आदेशों के उपबंधों के अनुसार दिया गया हो।

(ग) ऐसे मौसमी कर्मकारों को जिन से पेराई मौसम के बाद (आफ सीजन) में काम करने की अपेक्षा की जाय उन्हें आफ सीजन में अपने नियोजन की अवधि के लिए बीमारी की छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी के अनुपातिक लाभ उसी सीमा तक दिया जाएगा जैसा कि उन्हें पेराई के मौसम में अनुमन्य होता।

परन्तु सेवायोजक बीमारी की छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी और बीमारी की छुट्टी के समायोजन के पश्चात कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन देय किसी अधिक छुट्टी में कोई कटौती नही करेंगे और नही वे साप्ताहिक विश्राम के दिन त्यौहारों के अवकाश या किसी अन्य छुट्टी में कटौती करेंगे जो कारखाना अधिनियम 1948 और स्थायी आदेशों के अधीन अनुमन्य छुट्टी से अधिक है।

2(क) वैक्यूम पैन चीनी के कारखानों के ऐसे वर्ग के कर्मकार जिनमें कुक, माली, जमादार, भिश्ती, बेयरर या मशालची भी सम्मिलित हैं और जो केवल अधिकारियों के बंगलों या चीनी के कारखानों के मेस्ट हाउस पर तैनात है, जिनपर कारखाना अधिनियम 1948 के उपबन्ध लागू नहीं होता है, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अनुसार छुट्टियाँ प्राप्त करेंगे।

(ख) उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी:-

(1) जिन कर्मकारों ने 6 मास से कम की सेवा कर ली हो, उन्हें उनके द्वारा कर ली गई सेवा के अनुपात में छुट्टी दी जाएगी।

(2) यदि कोई कारखाना इन स्थायी आदेशों के लागू होने से पूर्व से उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अधीन देय छुट्टियों से अधिक सवेतनिक छुट्टियाँ देता आ रहा है तो कर्मकारों को ऐसी छुट्टियाँ दी जाती रहेंगी ताकि वे सर्वप्रथम उक्त अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट सामान्य, बीमारी और आकस्मिक छुट्टियों में समायोजित की जाएंगी और अधिक की यदि कोई हो, उसी रूप में और उसी रीति से गिना और स्वीकृत किया जाएगा जैसा कि इन स्थायी आदेशों के लागू होने के पूर्व किया जाता था और यदि इसके लिए कोई विशिष्ट तौर तरीका निर्धारित नहीं था तो ऐसे अधिक अवकाश को साधारण की भाँति माना जाएगा।

3- कोई भी कर्मकार जो अनुपस्थिति की छुट्टी लेना चाहता है वह अपना आवेदन पत्र अपने विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से प्रबन्धक या इस प्रयोजन के लिए प्रबन्धक द्वारा नियुक्त किसी ऐसे अधिकारी के पास भेजेगा जिसका नाम सम्यक रूप से सूचना पट पर अधिसूचित किया जाएगा।

4- यदि किसी कर्मकार को स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि उसको अनुमन्य सवेतन छुट्टी की अवधि के भीतर हो तो छुट्टी को वेतन सहित समझा जाएगा अन्यथा प्रबन्धक मण्डल अपने विवेकानुसार उसे वेतन रहित या सवेतन छुट्टी स्वीकृत कर सकता है।

5- पेराई के मौसम में ऐसी छुट्टी की स्वीकृति कार्य की आवश्यक्ताओं पर निर्भर करेगी और प्रबन्धक के विवेकानुसार दी जाएगी।

6- 3 दिन से अधिक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र छुट्टी आरम्भ होने के कम से कम 7 दिन पूर्व दिया जाएगा। 3 दिन से कम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र छुट्टी प्रारम्भ होने के कम से कम 24 घंटे पूर्व अवश्य दिया जाना चाहिए।

परन्तु आवेदन पत्र देने की उपर्युक्त सीमा उस दशा में लागू नहीं होगी जब छुट्टी चिकित्सा सम्बन्धी कारणों से या परिवार में कोई मृत्यु या गम्भीर बीमारी या गम्भीर घरेलू झंझटों या किसी अन्य आवश्यक मामले के कारण अपेक्षित हो और ऐसी दशा में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र उसी दिन दिया जा सकता है।

परन्तु यह और कि यदि बीमारी की छुट्टी दो दिन से अधिक की नहीं है तो किसी प्रकार के चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता नहीं होगी। यदि बीमारी की छुट्टी दो दिन से अधिक की है तो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी।

7- ऐसे सभी आवेदन-पत्र आपात परिस्थितियों को छोड़कर कार्यालय के समय और प्रपत्र 'ट' में दिये जाने चाहिए। यदि कोई कर्मकार चाहे तो वह छुट्टी के लिए अपना आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत मजदूर संघ के माध्यम से जिसका वह सदस्य हो, भेज सकता है और मजदूर संघ उसे प्रबन्धक के पास भेज देगा और उसकी प्राप्ति स्वीकृति ले लेगा।

8- यदि आवेदित छुट्टी बहुत आवश्यक प्रकार की है, अर्थात यह आवेदन पत्र के दिनांक से या उसके 3 दिन के भीतर ही प्रारम्भ होने वाली है तो ऐसी छुट्टी के आवेदन पत्र पर अविलम्ब विचार किया जाएगा और उस पर दिए गये आदेश की संसूचना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी। यदि माँगी गई छुट्टी स्वीकृत कर दी जाए तो कर्मकार को प्रपत्र 'ठ' में छुट्टी का एक पास दे दिया जाएगा। यदि रजिस्ट्रीकृत मजदूर संघ या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया 3 दिन से अधिक के लिए छुट्टी का आवेदन पत्र प्रबन्ध मंडल द्वारा स्वीकार न किया जाए या छुट्टी प्रारम्भ होने के कम से कम 24 घंटे पूर्व आवेदक या संघ को कोई आदेश न भेजा जाय तो यह समझ लिया जायेगा कि छुट्टी स्वीकृत कर ली गई है।

9- देय छुट्टी, स्वीकृत छुट्टी, बिना छुट्टी की अनुपस्थिति इत्यादि का अभिलेख सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार रखा जाएगा।

10- यदि कोई कर्मकार अपनी छुट्टी की अवधि बढ़ाना चाहे तो वह प्रारम्भ में स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही प्रबन्धक को एक लिखित आवेदन पत्र देगा और प्रबन्धक ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर शीघ्र ही उस कर्मकार को उनके द्वारा अभिलिखित किए गए पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा इस बात की लिखित सूचना देगा कि छुट्टी के बढ़ाने का उसका आवेदन पत्र स्वीकृत हुआ कि नहीं और यदि स्वीकृत हो गया हो तो कितनी अवधि के लिए या आवेदित बढ़ाई गई छुट्टी को स्वीकृत कर दिया गया है या नही किन्तु छुट्टी की अवधि बढ़ाने का आवेदन पत्र केवल चिकित्सकीय कारणों या परिवार में कोई मृत्यु हो जाने या किसी अन्य आवश्यक मामले के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

परन्तु यदि कोई कर्मकार अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के आधार पर स्थायी आदेश छ (1) में अनुध्यात अपनी छुट्टी के हक के उपरान्त छुट्टी की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दे तो कर्मकार यदि प्रबन्धक द्वारा लिखित नोटिस दिए जाने पर किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी, वैद्य या हकीम द्वारा हस्ताक्षरित एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजेगा जिसमें अनुपस्थिति का कारण और वह अवधि उल्लिखित होगी जिसमें ऐसे चिकित्सा व्यवसायी, वैद्य या हकीम के मतानुसार कर्मकार अपना काम करने में असमर्थ है।

ऐसी स्थिति में जहाँ किसी बाहरी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रबन्धक द्वारा संदेहात्मक समझा जाए वहाँ बीमार कर्मकार से उपस्थित होने की अपेक्षा की जा सकती है या जहाँ परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण अवकाश का आवेदन पत्र दिया गया हो, वहाँ, यदि सम्बंधित कर्मकार या परिवार का सदस्य कारखाने के क्वार्टर में रह रहा हो तो परिवार के उस सदस्य को कारखाने के चिकित्साधिकारी के समक्ष स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकती है।

जहाँ कोई कर्मकार छुट्टी पर रहने के समय कारखाने के क्वार्टर में न रह रहा हो या स्टेशन के बाहर चला गया हो और छुट्टी की अवधि बीमारी के आधार पर जो किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी, वैद्य या हकीम से चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो, बढ़ाना चाहता हो वहाँ प्रबन्धक अपने विवेक से ऐसे कर्मकार से या परिवार से जहाँ परिवार से किसी सदस्य की बीमारी के आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया गया हो, परिवार के उस सदस्य को निकटतम सिविल चिकित्सालय पर कारखाने के खर्च पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है।

परन्तु यह भी यदि कोई कर्मकार बीमारी छुट्टी/ विशेषाधिकार को बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र देता है तो बढ़ाई गई अवधि उसकी बीमारी की छुट्टी, यदि उपलब्ध हो, में जोड़ी जाएगी अन्यथा विशेषाधिकार छुट्टी / सामान्य छुट्टी में जोड़ दी जाएगी।

11- कर्मकार छुट्टी की अवधि बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र काफी पहले भेजेगा, ताकि उसकी छुट्टी की अवधि समाप्त होने के दिनांक से पूर्व उसके पास उत्तर पहुँच सके। यदि कर्मकार द्वारा अवकाश बढ़ाने का आवेदन पत्र काफी पहले न भेजा गया हो और प्रबन्धक मंडल द्वारा उसे छुट्टी स्वीकृत करना या अपना विनिश्चय समय के भीतर उसके पास भेजना सम्भव न हो, तो छुट्टी समाप्त होने और उसके आवेदन पत्र का उत्तर प्राप्त होने के बीच की अवधि बिना वेतन की छुट्टी मानी जाएगी जब तक कि प्रबन्धक मंडल का यह समाधान न हो जाय कि आवेदन पत्र देने में विलम्ब किन्ही अपरिहार्य कारणों से हुआ है।

12- यदि कोई कर्मकार प्रारम्भ में स्वीकृत की गई छुट्टी या बाद में बढ़ाई गई छुट्टी की अवधि के पश्चात भी अनुपस्थित रहता है, तो उसे पदच्युत किया जा सकता है किन्तु उसका नाम प्रतिस्थानी सूची में रखा जाएगा।

परन्तु पदच्युति का कोई आदेश पारित नही किया जाएगा। यदि कर्मकार यथास्थिति, अपनी छुट्टी या बढ़ाई गई छुट्टी की समाप्ति से 7 दिन के भीतर वापस आ जाता है और नियोजक के संतोषानुसार अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताता है;

परन्तु यह और कि पदच्युति का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रबन्धक द्वारा सम्यक् जॉच किये जाने पर उसका यह समाधान न हो जाय कि कर्मकार की छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के पर्याप्त आधार नहीं थे।

13- ऐसे कर्मकार को जिसने पेराई के मौसम में मिलने वाली विशेषाधिकार छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी न ली हो, तो उपभोग न की गई छुट्टी की अवधि के बदले उसे मजदूरी मिलेगी। पेराई के मौसम के अतिरिक्त आफ-सीजन में कर्मकार को मिलने वाले विशेषाधिकार और आकस्मिक छुट्टी के लिए उसे ऐसी छुट्टी के बदले मजदूरी केवल तभी मिलेगी जब प्रबन्धक मंडल द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया हो।

परन्तु यदि कोई कर्मकार ऐसा चाहे तो उसके उपभोग न की गई छुट्टी की अवधि को कारखाना अधिनियम 1948, या उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 जो भी उस पर लागू होता है, के उपबन्धों के अनुसार अग्रेनीत की जाएगी।

(ज) अवकाश प्रदान करनें की प्रकिया और प्राधिकार

कर्मकारों को प्रत्येक कलैन्डर वर्ष में मजदूरी सहित निम्नलिखित त्यौहारों के अवकाश दिये जाएंगे।

गणतंत्र दिवस	1 दिन
होली	2 दिन
स्वतंत्रता दिवस	1 दिन
तग पंचमी	1 दिन
रक्षा बत्धन	1 दिन
जन्माष्टमी	1 दिन
महात्मा गाम्धी जी का जन्म दिवस	1 दिन
दशहरा	4 दिन
दीवाली	2 दिन
कार्तिक स्नान	1 दिन
गुरु नानक जन्म दिवस	1 दिन
इदुल फितर	1 दिन
मुहर्रम	1 दिन

इसके अतिरिक्त प्रबन्ध मंडल ऐसी अन्य छुट्टियाँ देगा जितनी कुल छुट्टियों की उस संख्या के बराबर लाने के लिए आवश्यक हो जिस संख्या में कारखाने अपने कर्मकारों को सत् 1947 के कलन्डर वर्ष में छुट्टियाँ दी थी।

परन्तु पेराई के मौसम में कुल छुट्टियों की संख्या 1947 ई0 में दी गयी छुट्टियों की संख्या से कम न होगी।

परन्तु द्वितीयत: कि यदि काम की आवश्यक्ताओं के कारण प्रबन्धक मंडल किन्हीं अवकाशों को देने में असमर्थ है तो कर्मकार उस दिन के लिए अतिकाल (ओवर टाइम) मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

परन्तु तृतीयत: यदि मुहर्रम और इदुलफितर के अवकाश पेराई के मौसम में पड़े तो कारखाना इन अवकाशों को केवल मुसलमानों के लिए खण्ड अवकाश के रूप में मान सकता है।

परन्तु चतुर्थत: कि यदि विश्राम के दिन कोई अवकाश पड़ता है, तो कर्मकार को एक दिन की मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

प्रबन्धक मंडल रजिस्ट्रीकृत मजदूर संघों और/ या सम्बद्ध क्षेत्र के सम्भागीय उप/अपर श्रम आयुक्त के परामर्श से पूर्ववर्ती कैलेन्डर वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस स्थायी आदेश के अधीन अनुमन्य अवकाशों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक अनकाश मनाये जाने का दिनांक दिया होगा और कर्मकारों की सूचना के लिए कारखाने की सूचना पट्ट पर चिपका दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- पूर्ववर्ती स्थायी आदेश (ज) के प्रयोजनार्थ 'मजदूरी' का तात्पर्य संहत मजदूरी से है जिसके अन्तर्गत अतिकाल उपर्जन और बोनस नही है। कर्मकारों को किसी विशोष दिन के लिए देय वेतन की गणना किसी कलेन्डर मास में दिनों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए।

(झ) तलाशी लेने का दायित्व और कतिपय फाटकों से परिसरं में प्रवेश

1- कोई कर्मकार कारखाने में प्रवेश करने के निमित्त लगाए गये फाटक या फाटकों के सिवाय कारखाने के परिसर में न तो प्रवेश करेगा और न उसे छोड़ेगा।

2- यदि किसी कर्मकार के कब्जे में कोई ऐसी वस्तुएं है, लिसे वह काम करने के समय अपने साथ कारखाने में ले ताना चाहता हो तो वह कारखाने में प्रवेश करते समय उसे दिखाएगा और इस प्रयोजन हेतु नियुक्त द्वार पाल या लिपिक द्वारा उसे चिन्हित कारएगा।

3- कारखाने के परिसर के बाहर जाने पर समस्त पुरुष कर्मकारों को द्वारपाल द्वारा तलाशी ली जाएगी और यदि द्वारपाल को इस बात का संदेह हो कि इस प्रकार रोकी गई किसी महिला कर्मकार के कब्जें में कारखाने की कोई सम्पत्ति है तो वह सभी महिला कर्मकारों को रोक सकता है, जिससे तलाशी लेने वाली महिला उनकी तलाशी ले सके। तलाशी तब तक न ली जाएगी जब तक कि कर्मकार के लिंग के दो अन्य व्यक्ति उपस्थित न हों। तलाशी लेने से पहले द्वारपाल अपनी तलाशी देगा।

(ञ) अस्थायी रूप से काम बंद करना और प्रविधिक या व्यावसायिक कारणों से कर्मकार को बैठकी में भेजना

1- किसी कारखाने का प्रबन्ध मंडल किसी भी समय या समयों पर आग लग जाने, संकट पड़ने, मशीनें बिगड जाने या बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने, महामारी फैलने, दंगा, असैनिक उपद्रव होने या कच्चे माल की कमी या ऐसे अन्य कारणों से, जिन पर प्रबन्ध मंडल का कोई नियंत्रण न हो, किसी मशीन या मशीनों या विभाग या विभागों को बिना नोटिस दिए हुए, किसी भी अवधि या अवधियों के लिए पूर्णतया या अंशतया बन्द कर सकता है। इस असदेश के अधीन काम के घंटों में किसी मशीन या विभाग के बन्द हो जाने की दशा में, उन कर्मकारों को, जिन पर इसका प्रभाव पड़ता हो, सूचना पट्ट पर यथा व्यवहार्य, शीघ्र एक नोटिस चिपका कर इस बात की सूचना दी जाएगी कि काम कब पुन: प्रारम्भ होगा और यह कि उन्हें कारखाने में रहना चाहिए या कारखाना छोड़कर चले जाना चाहिए।

2- उक्त आदेश के अधीन बैठकी पर भेजा गया कोई भी कर्मकार अस्थाई रूप में बेकार समझा जाएगा और ऐसी बेकारी की अवधि के लिए उसे प्रतिकर मजदूरी देने का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा। जब कभी व्यवहार्य हो सामान्य काम पुनः प्रारम्भ करने के लिए युक्ति युक्त नोटिस दी जाएगी और ऐसे सभी कर्मकारों को, जिन्हें उक्त आदेश के उधीन बैठकी पर भेजा गया हो और जो सामान्य रूप से काम पुनः प्रारम्भ कराने के 3 दिन के भीतर काम पर उपस्थित हों, उन्हें काम दिया जाएगा।

3- हड़ताल होने की दशा मे, जिससे कारखाने के किसी एक या अधिक विभागों पर पूर्णतया या अंश तया प्रभाव पड़ता हो कारखाने का प्रबन्ध मंडल किसी भी अवधि या अवधियों के लिए पूर्णतया अंशतया ऐसे विभाग या विभागों को बन्द कर सकता है। इस प्रकार बन्द किये जाने के तथ्य की नोटिस यथा व्यवहार्य शीघ्र सूचना पट्ट पर चिपका दी जाएगी। सम्बन्धित कर्मकारों को भी काम पुनः प्रारम्भ होने के पहले एक सामान्य नोटिस द्वारा इस बात की सूचना दी जाएगी कि काम कब पुनः प्रारम्भ किया जाएगा।

4- यदि प्रबंधक यह अनुभव करे कि हड़ताल के कारण या किसी मशीन के बिगड़ जाने के कारण होने वाली काम बन्दी अधिक समय तक रहेगी तो उसे प्राधिकार होगा कि वह तत्कालिक नोटिस देकर कर्मकार को बैठकी पर भेज दे।

मौसम के समाप्त होने के पश्चात यदि इस मौसम की अवधि 90 दिन से कम की हो तो प्रबन्ध मंडल स्थायी कर्मकारों को दो महीने से अनधिक अवधि के लिए अनिवार्य अवकाश पर भेज सकता है।
परन्तु मशीन बिगड़ जाने, गन्ने में बीमारी लग जाने और गन्ने का संभरण कम होने कारण पेराई का मौसम असाधारण रूप से छोटा होने इत्यादि जैसी आपवादिक परिस्थितियों में, जो प्रबन्ध मंडल के नियंत्रण में न हो, अनिवार्य अवकाश की उक्त अवधि, उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुज्ञा से, प्रबन्ध मंडल द्वारा अधिक से अधिक 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

परन्तु यह और कि अनिवार्य अवकाश की अवधि में सम्बन्धित कर्मकारों के क्वार्टर खाली करने या कारखाने द्वारा उन्हें निजी प्रयोग के लिए दिये गये सामानों को जमा करने के लिए नही कहा जाएगा और यदि क्वार्टर के बदले में किसी कर्मकार को कोई किराया दिया जाता था तो वह उसे मिलता रहेगा।

परन्तु यह भी कि अनिवार्य अवकाश की अवधि में सम्बन्धित कर्मकारों को उनकी संहत मजदूरी का 50 प्रतिशत मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसा कर्मकार जो कारखाने से 10 मील से अधिक की दूरी पर रहता हो अनिवार्य अवकाश पर जाते समय कारखाने से अपने निवास स्थान तक का एक ओर का किराया और उसी प्रकार कारखाने में काम पर वापस आने के लिए भी एक ओर का किराया पाने का अधिकारी होगा। किराया कारखाने के नियमों के अनुसार सम्बन्धित कर्मकार को उसके वर्गानुसार दिया जाएगा।

सम्बन्धित कर्मकार को अनिवार्य छुट्टी पर भेजने से पहले उन्हें कम से कम 1 सप्ताह की नोटिस दी जाएगी। ऐसी नोटिस में अनिवार्य छुट्टी पर जाने वाले कर्मकारों के नाम और छुट्टी के प्रारम्भ होने और उसके समाप्ति के दिनांक निर्दिष्ट किये जाएंगे। कर्मकारों को अनिवार्य अवकांश पर भेजने के सिलसिले में सबसे कनिष्ट कर्मकार को पहले भेजा जाएगा। प्रबन्ध मंडल कार्यकुशता के आधार पर इसमें अपवाद कर सकता है, किन्तु उन्हें ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने पड़ेगे।

अनिवार्य छुट्टी पर भेजे गये प्रत्येक कर्मकार को नोटिस में लिख कर यह गारंटी दी जाएगी कि उसे यदि वह छुट्टी समाप्त होने पर वापस आ जायेगा तो उसे पुनः नियोजित कर लिया जाएगा। यदि अपरिहार्य कारणों से वह निश्चित दिनांक पर काम पर न आ सके तो वह कारखाने को इसकी पूर्व सूचना रजिस्ट्री पत्र से या तार द्वारा देगा। उपर्युक्त कारणों के आधार पर प्रबन्ध मंडल ऐसी पूर्व सूचना न देने के लिए क्षमा प्रदान कर सकता है। प्रबन्ध मंडल किसी भी दशा में अनिवार्य छुट्टी के बाद काम पर आने के लिए आदेश में निश्चित किये गये दिनांक से 2 सप्ताह होने से पहले किसी भी कर्मकार को पदच्युत करने का आदेश पारित नही करेगा।